

प्रेषक,

अरविन्द सिंह  
विशेष सचिव,  
उपशासन

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,  
लोक निर्माण विभाग, उपशासन

लोक निर्माण अनुभाग-9

लखनऊ : दिनांक 16 फरवरी, 2017

विषय- वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान सं०-58 के अन्तर्गत नाबाई वित्त पोषित आर०आई०डी०एफ०-22 योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख/अन्य जिला मार्ग के चौड़ीकरण/सुदृढीकरण हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महादेय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-167/40पी.जे.(आ.)/आर०एस०डी०-5/16, दिनांक 06.02.2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आर०आई०डी०एफ०-22 योजनान्तर्गत निम्नलिखित सूची के स्तम्भ-4 में उल्लिखित शासनादेश द्वारा स्वीकृत 02 जनपदों यथा देवरिया एवं जालौन के कुल 02 कार्यों हेतु सूची के स्तम्भ-9 में उल्लिखित मांग की धनराशि ₹0 01,80,00,000/- (रूपये एक करोड़ अस्सी लाख मात्र) के सापेक्ष सूची के स्तम्भ-10 के अनुसार सम्पूर्ण धनराशि अर्थात् ₹0 01,80,00,000/- (रूपये एक करोड़ अस्सी लाख मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि ₹0 लाख में)

क्र० सं०	योजना का नाम	मार्ग का नाम	शा०सं० व दिनांक	जनपद का नाम	लम्बाई (कि०मी० में)	स्वीकृत लागत (₹0 लाख में)	शासन द्वारा आवंटित धनराशि	मुख्यालय द्वारा वर्ष 2016-17 हेतु की गयी मांग	वित्तीय वर्ष 2016-17 में अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	RIDF-22	मुसैला भागलपुर मार्ग (चै० 1.00 से 17.00) का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण एवं 8750 मीटर यू० इन सहित	98/2016/1318/23-9-2016-26नाबाई(ओडीओआर)/2016, दि० 26.10.2016	देवरिया	17.000	2437.07	665.82	90.00	90.00
2	RIDF-22	एट कोच मार्ग के कि०मी० 1 से 7, 9, 13 व 14(600) तक सुदृढीकरण का कार्य एवं 2000 मीटर सी०सी० रोड तथा 03 नं० 900 एम०एम० डायलिया सहित	-तदैव-	जालौन	9.600	926.11	253.01	90.00	90.00
<b>योग:-</b>					<b>26.60</b>	<b>3363.18</b>	<b>918.83</b>	<b>180.00</b>	<b>180.00</b>

2- उक्त धनराशि केवल उल्लिखित परियोजनाओं पर ही मानक एवं विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

3- उक्त तालिका के स्तम्भ-4 में उल्लिखित शासनादेश की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

क्रमशः.....

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।  
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- 4- प्रश्नगत कार्य पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुदान संख्या-58 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय- आयोजनागत-04-जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-86-नाबार्ड पोषित आर0आई0डी0एफ0 योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख/अन्य जिला मार्ग के चौड़ीकरण/सुदृढीकरण के नये कार्यो हेतु एकमुश्त व्यवस्था-24-वृहद निर्माण कार्य के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के नामे डाला जायेगा।
- 5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

( अरविन्द सिंह )

विशेष सचिव

**संख्या उपरोक्त एवं तददिनांक**

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-**

- 1- महालेखाकार, प्रथम (निर्माण), 30प्र0 इलाहाबाद।
- 2- राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, 30प्र0 क्षेत्रीय कार्यालय, 11 विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
- 3- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लो0नि0वि0, 30प्र0 लखनऊ।
- 4- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त (आय-व्ययक), अनुभाग-2, 30प्र0 शासन।
- 5- संबंधित अधिशासी अभियन्ता।
- 6- लोक निर्माण अनुभाग-10।
- 7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

( भास्कर पाण्डेय )

अनु सचिव।

http